राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

नियम–पुस्तिका

संविदा महिला स्वास्थ्यकार्यकर्ता(ए.एन.एम.) के चयन के लिये

(कम्युटर बेस्ड टेस्ट द्वारा)

(2023-2024)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.),मध्यप्रदेश के अन्तर्गत संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के पद के लिए एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

एन.एच.एम. ,म.प्र. संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के 1200 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीद्वारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षो की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)के 1200 पद का विवरण :–

पदनाम	संविदा रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित 27%	अनुसूचित जनजाति 20%	अनुसूचित जाति 16%	अन्य पिछड़ावर्ग 27%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	निशक्तःजनों के लिये 6%			
							(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1. 5%	(बहरे कम सुनने वाले) 1. 5%	(लोकोमीटर डिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग,बौनापन, एसिडअटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1. 5%	(ऑटिज्म बौद्विवक दिव्यांगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलेटी ओर मानसिक बीमारी और बहुविलांगता) 1. 5%
1	2	3	5	6	7	4	8	9	10	11
संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)	**1200**	**324**	**240**	**192**	**324**	**120**	**18**	**18**	**18**	**18**

- निशक्तः के लिये संविदा महिला स्वास्थ्यकार्यकर्ता (एएनएम) के रिक्तियों में से 72 पद पद निःशक्त के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्तः इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizonatal)के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देशों ,लिखित परीक्षा और ऑनलाईन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया करे **http://www.nhmmp.gov.in/** या **http:// www.mponline.gov.in** पर जाए।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक	21/06/2023
आवेदन पत्र त्रृटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक	04/07/2023
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक	16/07/2023
आवेदन पत्र त्रृटिसुधार करने की अंतिम दिनांक	17/07/2023

2. **शैक्षणिक और अन्य पात्रताऍः–**

- (10+2) शिक्षा पद्धति में(जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिकी के साथ) हायर सेकेण्डरी परीक्षा/ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
- म.प्र.सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाईफ प्रशिक्षण केन्द्र से महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता/सहायक नर्सिंग मिडवाईफ का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये।
- म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का वैघ पंजीयन होना चाहिये।

2.1 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें:–

- हाईस्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा की अंकसूची।
- 10+2) शिक्षा पद्धति में(जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिकी के साथ) हायर सेकेण्डरी परीक्षा/ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
- म.प्र.सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिग मिडवाईफ प्रशिक्षण केन्द्र से महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता/सहायक नर्सिग मिडवाईफ का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये।
- म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का वैघ पंजीयन होना चाहिये।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 07–11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नही किया जावेगा।

नोटः– आवेदक आवेदन/वॉछित अपलोड करते समये आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित समस्त जानकारियों का स्वंय परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही फार्म को अपलोड करें, जिससे कि त्रृटि की संभावना नगण्य रहे।

2.2 योग्यता की गणना के लिये संदर्भ तिथि 01/01/2023.

3 *आयु सीमाः– 21–43 वर्ष (*आयु गणना की संदर्भ तिथि 01/01/2023)
अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 04 –2019 एवं संशोधित परिपत्र क्रमांक 7–46/2021/अप्र/1 दिनांक 18/09/2022 द्वारा समय –समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेगें। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ,निशक्तःजन/ महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट)

स्पष्टीकरणः– आयु की गणना के लिए 10 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध /संदर्भ दस्तावेज होगा औरउम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नही किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीद्वारों के लिये ही होगी, यदि वे मध्यप्रदेश की निवासी है।

4. **वेतनः–**

4.1 चयन के बार, उम्मीदवार को संविदा महिला स्वास्थ्यकार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें **प्रतिमाह 12,000/–** रूपये दिया जायेगा।

5. **आरक्षण नियमः–**

5.1 मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और आयु में छूट केवल मध्यप्रदेश के उम्मीद्वारों के अधिवास पर लागू होगी।

5.2 केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होगें।

6. **आवेदन प्रक्रियाः–**

6.1 उम्मीद्वारों को **16/07/2023** तक या उससे पहले एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्म से प्रस्तुत किये गये आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

6.2 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशो और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

6.3 आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिहि्नित)] प्रदान करना आवश्यक है।

6.4 आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

6.5 आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये है और समापन तिथि से पहले ऑनलाईन सफलतापूर्वक जमा किए गये है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स ''सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है'' आधे भरे हुये आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.6 एक बार ऑनलाईन फार्म जमा हो जाने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जॉच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जॉच परिणाम औरउनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिये जायेगे। जॉच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाईन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जॉच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जॉच टिप्पणी बदल सकती है।

6.7 सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एस.सी.,एसटी, ओबीसी, ईडब्लयूएस पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिये अनुरोध पर विचार नही किया जायेगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नही होगा।

6.8 विकलांग व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगाः–

(क) दृष्टिबाधित एवं कमदृष्टि।

(ख) बहरे कम सुनने वाले।

(ग) लोकोमीटरडिसेबिलटिी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी।

(घ) ऑटिज्म बौद्विविक दिव्यंगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलेटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता।

(ड) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. **चयन प्रक्रियाः–**

7.1 संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता(ए.एन.एम.) के चयन के लिए एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा एमसीक्यू (MCQs) आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा(ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा।

7.2 विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए पाठ्यक्रम के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड (एसएमएस) के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी।

7.3 परीक्षा केन्द्र /शहरी भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, **उज्जैन**, सागर एवं सतना में उम्मीद्वारों की वास्तविकता संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों/शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

7.4 उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिये केन्द्र की पंसद प्रदान कर सकते है। केन्द्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगाः–

(क) केन्द्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीद्वारों द्वारा प्रदान की गई केन्द्र प्राथमिकताऐं।

(ख) प्राथमिकताऐं और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद, एमपीऑनलाइन द्वारा केंद्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

7.5 ई–एडमिट कार्ड को एसएएमएस एवं एनएचएम म.प्र. की आधकारिक वेबसाईट, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड **http:// www.mponline.gov.in** और **http://www.nhmmp.gov.in/** पर से परीक्षा तिथि के सात(7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एस.ए.एम.एस एवं एन.एच.एम. की आधिकारिक वेबसाईट पर होगी।

7.6 परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 एमसीक्यू **(MCQ)** प्रश्न शामिल होगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंकन नही होगा। चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंको को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

7.7 ऑनलाईन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम् उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होगे **40% For UR, 36% For EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and** ST मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा।

7.8 उपरोक्त मानदण्डो के अनुसार यदि उम्मीद्वारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में **मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र.** आवश्यक रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगें। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरियता दी जायेगीः–

(i) आयु में बड़े उम्मीद्वार को वरीयता दी जाएगी।

(ii) एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन. एम.) के पद हेतु जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

7.9 परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष ओर परदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नही है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है , तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीद्वारों को ऐसे झूठे दावों से सावधन रहना चाहिये।

7.10 उम्मीद्वार को नियमों और चयन मानदंडो का अवलोकन करना चाहिये और पद के लिये आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीद्वार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीद्वार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता हैं तो, इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीद्वारी प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।

7.11 कोविड–19 अन्तर्गत अस्थायी एवं आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) जिसने न्यूनतम अवधि 89 दिवस कार्य किया हो उसे संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) की भर्ती प्रकिया में 10 प्रतिशत अधिभार अंक **(Weightage)** प्राप्त करने की पात्रता होगी। **(एनएचएम के परिपत्र क्रमांक 8671 दिनांक 24/5/2021 एवं 9423 दिनांक 10/6/2021 के परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार किये जावेगें)**

7.12 **निर्हता/अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकारः–**

1. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
2. प्रतिरूपण किया जाना।
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
4. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
5. रूपान्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
6. किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना।
7. अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
8. परीक्षा कक्ष में डयूटीरत स्टॉफ को कोई धमकी दी जाना।
9. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लघंन किया जाना।
10. पुरूष अभ्यर्थी /महिला अभ्यर्थी जिसक एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो।
11. कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित संतान हुई हो।
12. अभ्यर्थी जिस पर आपराधिक मामला लम्बित है या दण्डित किया गया हो।

8. **स्थान आवंटनः–**

8.1 मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

8.2 उम्मीद्वार के उत्तीर्ण होने के उपरान्त **पदों की पूर्ति हेतु च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी,** पद के लिए उम्मीद्वार एक से अधिक आवेदन फार्म जमा नही कर सकता है। यदि उसकी उम्मीद्वारी का पता नही लगाया है तो उसकी उम्मीद्वारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।

8.3 ऑनलाईन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीद्वारों को सहमत होना होगा कि ''मै पूरी तरह से समझता हूँ कि उपरोक्त स्थान वरीयता का विवरण ,केवल सूचना के उद्देश्य से मांगे जा रहे है। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम म.प्र. के अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।

9. **दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाः–**

(क) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) द्वारा किया जायेगा।

(ख) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण आदि) भरते समय पूछे गये थे।

(ग) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की उम्मीद्वारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नही है, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।

(घ) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीद्वारो को अयोग्य माना जाएगा।

(ड़) जो उम्मीद्वार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नही करेगें, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नही किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीद्वार को प्रदान किया जाएगा।

10. अन्य निर्देश और दिशा निर्देशः–

10.1 चयनित उम्मीद्वारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्त कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैः–

(क) 10वीं या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक और उम्मीद्वारों के सभी उत्तीर्ण किये हुये पाठ्यक्रम की वार्षिक/सेमेस्टर वार मार्कशीट।

(ख) नवीनतम् पासपोर्ट साईज की दो तस्वीरें।

(ग) मध्यप्रदेश के उपमंडल अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।

(घ) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।

(ड़) नवीनतम् चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र(जिला बोर्ड से) प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नही होना चाहिए।

(च) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता(ए.एन.एम.) के चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल ओर स्व–सत्यापित प्रतिलिपि।

(छ) उपरोक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व का स्वीकार नही किया जाएगा।

(ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/आंतरिक संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता(एएनएम) के लिये लागू होगें।

(झ) गर्भवती उम्मीद्वार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा,ओर उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।

(अः) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(ट) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07–11/2019/आप्र/1,दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।

11. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और **संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता(ए.एन.एम.)** के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

12 **चयन प्रकिया में संशोधन का अधिकारः–**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को/सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

13. परिभाषाएँः–

13.1 '' चयन परीक्षा'' का अर्थ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता(ए.एन.एम.) के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है।

परिशिष्ट–1

कार्य दायित्व

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जांच (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी.पी. तथा अन्य आवश्यक जांच करना)।
- एम.सी.पी. कार्ड में प्रविष्टि करना तथा गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के संबंध में आवश्यक जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, काल सेंटर आदि की जानकारी प्रदान करना।
- आर.सी.एच. पोर्टल में पंजीयन एवं अद्यतन फार्म में गर्भवती महिलाओं के विषय में आवश्यक जानकारी भरकर ए.वी.डी. के माध्यम से कोल्ड चैन फोकल पाईंट पर उपलब्ध कराना।
- उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर संधारित पंजी को अद्यतन करना।
- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप, खून आना, उल्टा/आड़ा/जुड़वा गर्भ आदि पाये जाने पर तुरंत क्रियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के ऊपर) आई.एफ.ए. की बड़ी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बड़ी गोली के सेवन हेतु सलाह देना।
- सुदूर गांव की जटिल गर्भावस्था वाली महिला को प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व क्रियाशील सीमॉक में भर्ती करना जिससे समय पर उचित प्रबंधन किया जा सके।
- गर्भवती महिला की तृतीय अथवा चतुर्थ प्रसवपूर्व जांच चिकित्सक द्वारा करने की व्यवस्था करना।
- गंभीर एनेमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित कर ट्रेकिंग सुनिश्चित करना।
- सभी शिशुओं एवं बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज नवजात शिशुओं के सामुदायिक फॉलोअप (पहले दिन, तीसरे दिन, सातवें दिन, चौदहवें दिन, इक्कीसवें दिन, अठ्ठाईसवें दिन) हेतु आशा को प्रेरित करना एवं मॉनिटरिंग करना।
- दस्त रोग में ओ.आर.एस. एवं जिंक को बढ़ावा देना।
- गंभीर नवजात शिशुओं को एस.एन.सी.यू. में जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- समुदाय स्तर से होने वाली शिशु/मातृ मृत्यु को तत्काल जिला स्तर पर रिपोर्ट करना।
- प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण एवं जन्म उपरांत बच्चे की आर.सी.एच. पोर्टल के माध्यम से ट्रेकिंग करना।
- गर्भावस्था के दौरान माँ को उचित पोषण की सलाह देना एवं एफ.आई.एफ.ए. गोलियों का सेवन सुनिश्चित करना।
- समस्त धात्री माताओं को 6 माह तक अनन्य स्तनपान कराने की सलाह देना।

- राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी अनुसार समस्त बच्चों का शत–प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करना।

- ग्राम के समस्त अति कम वजन एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की नामबद्ध सूची आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा से प्राप्त कर रिकार्ड संधारित करना।
- सूचीबद्ध बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दौरान विशेष ध्यान देना।
- ऐसे बच्चों में कान बहना, गले में खराश, सर्दी–जुखाम, बुखार, चर्म रोग जैसे–फोड़े–फुन्सी आदि की शिकायत प्रायः पायी जाती है, जिसका तुरंत यथोचित उपचार सुनिश्चित करना, ताकि यह बच्चे कुपोषण–बीमारी–कुपोषण कि कु–चक्र से बाहर आ सके।
- बल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त 6–60 माह के बच्चों को वर्ष में एक बार आई.एफ.ए. सीरप की 100 एम.एल. की एक बोतल कृमिनाशन हेतु एल्बेंडाजोल सीरप प्रदायित करना।
- गंभीर एनीमिया से ग्रस्त बच्चे को उचित उपचार/रक्ताधान हेतु रेफर करना।
- बाल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु आवश्यक आई.एफ.ए. सीरप की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बाल सुरक्षा माह के दौरान वर्ष में दो बार समस्त 9 माह से 5 वर्षीय बच्चों को विटामिन ए का अनुपूरण करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर किशोरी बालिकाओं को दी जाने वाली आरयन की बड़ी गोलर तथा एल्बेन्डाजोल की गोली आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नियमित रूप से उपलब्ध करायेगी तथा आवश्यक होने पर किशोरी बालिकाओं की हिमोग्लोबिन परीक्षण कर गंभीर खून की कमी होने (8 ग्राम से कम–National Iron+Initiative) पर स्वास्थ्य संस्था को रैफर करेगी। रिपोर्ट संकलित कर खण्ड चिकित्सा अधिकारी को मासिक रूप से जमा करायेगी। 10 एवं 16 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को टिटनेस टॉक्साईड के टीके लगायेंगी।
- सबसेन्टर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों और मजरे की सूची तैयार करें।
- वास्तविक जनसंख्या, लाभार्थियों की पहचान एवं वार्षिक एवं मासिक लक्ष्य निर्धारण हेतु CAN सर्वे माह अप्रैल मे कर प्रतिमाह नए जन्में शिशु एवं गर्भवती महिला की नामावली, एम.सी.टी.एस. फार्म में अंकित कर अपडेट करना।
- लाभार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु मासिक टीकों एवं विटामिन ए की गणना करना।
- गांवो एवं मंजरे में सत्रों का आयोजन इन्जेक्शन लोड अनुसार निर्धारण यथा 25–50 इंजेक्शन 1 सत्र प्रतिमाह, 50 से अधिक इंजेक्शन माह में दो बार सत्र लगायें एवं 25 इंजेक्शन से कम 1 सत्र प्रति 2 माह में तथा दुर्गम क्षेत्रों में वर्ष में न्यूनतम 4 सत्र लगायें।
- वैक्सीन वाहन हेतु रूट चार्ट दूरी समय एवं कार्यदिवस बनाकर देना।
- आई.यू.सी.डी. निवेशन में दक्ष ए.एन.एम. सप्ताह में दो दिवस आई.यू.सी.डी. निवेशन हेत ु निर्धारित करेंगी जो मंगलवार और शुक्रवार होंगे।
- आरोग्य केन्द्र पर प्रत्येक गर्भवती माता को उनकी सेवा आवश्यकता के अनुसार प्रसव तुरंत पश्चात् (पी.पी.आई.यू.सी.डी.) लगवाने हेतु प्रेरित करेंगे।

- स्थायी और अस्थायी साधन के सेवा आवश्यकता की पूर्ति में आशा कार्यकर्ता सहयोग एवं समन्वय करेंगे।
- प्रेग्नेंसी टेस्ट किट आशा को उनके लक्ष्य दंपत्ति अनुसार एवं कार्य की प्रगति के अनुसार प्रदाय करना एवं उसके उपयोग के बारे में बताना।

- प्रेग्नेंसी टेस्ट किट से संबंधित जानकारी भारत सरकार द्वारा चाहे गये निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह सुपरवाईजर एवं सेक्टर मेडिकल ऑफिसर को प्रस्तुत करना।
- भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र में पेरिटीवाइज़ (जीवित बच्चों की संख्या अनुसार) स्थायी प्रेरित की जानकारी तैयार करने हेतु आशा के साथ समन्वय।
- उपस्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय पर सेवा प्रदान करने के समय ए.एन.एम. एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को चलित अस्पताल के स्टॉफ के साथ समन्वय स्थापित कर सेवा प्रदाय की जाना होगी।
- सेवा प्रदायगी पंजी में ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू के हस्ताक्षर भी कराना होंगे।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन प्रदाय सेवाओं का प्रमाणीकरण ए.एन.एम. के द्वारा कराया जाना चाहिये।
- प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन ए.एन.एम. द्वारा प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में प्रदाय की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को निर्धारित पंजी में दर्ज करना।
- उप स्वास्थ्य केन्द्र में प्रदाय की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी को स्वास्थ्य केन्द्र की संबंधित पंजी में दर्ज करना।
- जिले द्वारा एचएमआईएस रिपोर्ट हेतु निर्धारित तिथि में उसके द्वारा संपादित किये गये कार्यों को निर्धारित उप स्वास्थ्य केन्द्र एचएमआईएस फार्मेट में भरना।
- भरे हुये एचएमआईएस फार्मेट को सेक्टर सुपरवाईजर को सौंपना।
- Quality Assurance के द्वारा जारी की गयी दिशा–निर्देशों का पालन (Standard Operating Prcedure) एवं यह सुनिश्चित करना कि सभी कार्यविधि दिशा–निर्देशों के अंतर्गत की जा रही हो।
- लाभार्थियों की सूची की संपूर्णता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।
- VHND Session के दिन सभी सामग्री की उपलब्धता Check List के अनुसार हो यह सुनिश्चित करना।
- VHND Session के दौरान एवं उसके पश्चात् Bio Medical waste एवं Infection Control में दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करना।
- कार्य समाप्ति के बाद रिर्पोटिंग की संपूर्णता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

डिलेवरी पाईंट्स (लेवल 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र) पर कार्यरत

लेवल 1 उपस्वास्थ्य केन्द्र पर एस.बी.ए. प्रशिक्षित 2 ए.एन.एम. पदस्थ होती है। एक उप स्वास्थ्य केन्द्र में अनुमानतः 8–10 गांव होते हैं। एक ए.एन.एम. (ए) को एक माह में उपस्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव संपादित करने है तथा दूसरी ए.एन.एम. (बी) आउटरीच सर्विसेज प्रदान करेंगी। अगले माह में दूसरी ए.एन.एम. (बी) की ड्यूटी उप स्वास्थ्य केन्द्र पर तथा पहली ए.एन.एम. (ए) आउटरीच सर्विसेज प्रदान करेंगी।

क्र	ग्राम स्वा एवं पोषण दिवस	ग्राम भ्रमण दिवस
1		प्रत्येक सोमवार

2	प्रथम मंगलवार	तृतीय बुधवार
3	प्रथम शुक्रवार	तृतीय गुरूवार
4	द्वितीय मंगलवार	चतुर्थ बुधवार
5	द्वितीय शुक्रवार	चतुर्थ गुरूवार
6	तृतीय मंगलवार	प्रथम बुधवार
7	तृतीय शुक्रवार	प्रथम गुरूवार
8	चतुर्थ मंगलवार	द्वितीय बुधवार
9	चतुर्थ शुक्रवार	द्वितीय गुरूवार

- न्यूनतम 3 प्रसव प्रतिमाह
- प्रोटोकॉल के अनुसार प्रसव संपादित करना।
- गर्भवती महिला की सम्पूर्ण (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी.पी. तथा पेट की अन्य जांच) करना तथा आवश्यक प्रविष्टि एम.सी.पी. कार्ड में करना।
- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप, खून आना, उल्टा/आडा/जुडवा गर्भ आदि पाये जाने पर तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा उपलब्ध ना होने की स्थिति में कियाशील स्वास्थ्य संसाि पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- गर्भवती महिला का तृतीय अथवा चतुर्थ प्रसवपूर्व जॉच चिकित्सक द्वारा करने की व्यवस्था करना।
- गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित कर ट्रेकिंग सुनश्चित करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की एक बडी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बडी गोली के सेवन हेतु सलाह देना। गंभीर रक्ताल्पता से पिडित महिलाओं की ब्लड ट्रांसफ्यूजन /इंजेक्शन/आयरन सुक्रोज के माध्यम से प्रबंधन करने हेतु कियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना तथा इस हेतु पृथक से रिकार्ड संधारित किया जाए।
- निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पार्टोग्राफ संधारित किया जाए। जिससे फीटल तथा मेटरनल डिस्ट्रेस तथा आब्सटेट्रिक लेबर का प्रबधंन तथा रेफलर किया जाए।
- इंफेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल का पालन किया जए जिससे महिला एवं नवजात शिशु से सेप्सिस के कारण होने वाले कॉम्पलीकेशन के प्रकरणों में कमी लाई जा सके।
- रेफलर हेतु निर्धारित स्लिप का उपयोग किया जाए एंव उचित फर्स्ट एड जैसे— आई.बो.लाईन, ऑकसीटोसिन इंजेक्शन, मैगसल्फ इंजेक्शन आदि लगाकर भेजा जाए।
- रेफर की जाने वाली संस्था में कॉल सेंटर के माध्यम से फोन से सूचित किया जाए।
- आवश्यक औषधियॉ, सामग्री ,उपकरण आदि की उपलब्धता सुनश्चित करना।
- एम.एन.एच. टूलकिट के आधार पर सभी आवश्यक पंजियों का संधारण करना।

- न्यूनतम सर्विस गारण्टी के अनुसार सेवाऐं प्रदान करना।

- प्रत्येक गर्भवती महिला को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए. की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त 1,3,7, 42 दिवसपर ए.एन.एम. तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जॉच सुनश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।
- महिला को प्रसवोत्तर नसबदी/ आई.यू.डी. निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- सुदूर गॉव की जटिल गर्भावस्था वाली महिला को प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व कियाशील सीमॉक में भर्ती करना जिससे समय पर उचित प्रबंधन किया जा सके।
- आकस्मिकता की स्थिति में ही घर में प्रसव सुरक्षित तरीके से कराया जाए। घर में होने वाले प्रसव में भी स्टेण्डर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। प्रसव के समय आशा कार्यकर्ता का भी सहयोग लिया जाए।
- डिलेवरी पाईट्स में पदस्थ एएनएम द्वारा एस.बी.ए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, जिससे वह प्रसव के समय होने वाली जटिलताओं का चिन्हा्कंन तथा प्रबंधन कर सके तथा अनावश्यक होने पर उच्च संस्थ्ज्ञा पर रेफर कर सके।
- प्रसव के समय आवश्यक नवजात शिशु देखभाल सेवाऐं उपलब्ध करायेगें।
- टीकाकरण सारणी अनुसार जन्म के समय (बी.सी.जी., 0डोज पोलियो एवं हेपेटाईटिस) नवजात शिशु को टीकाकरण सुनिश्चित करेगें।
- यदि उप स्वास्थ्य के अधीन 8 से अधिक ग्राम है तो सोमवार/बुधवार/गुरूवार को भी ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के अन्तर्गत प्रावधानित सेवाऐ दी जाए।
- आर.सी.एच. पोर्टल में पंजीयन एवं अद्यतन फार्म में गर्भवती व प्रसव हो चुकी महिलाओं की जानकारी भरकर विकासखण्ड पर प्रेषित करना।

<u>डिलेवरी पाईट्स पर कार्यरत मेटरनिटी में पदस्थ ए.एन.एम.:–</u>

- प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित प्रसव संपादित करना।
- गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जॉच (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी.पी.तथा पेट की जॉच) करना तथा आवश्यक प्रविष्टि एन.सी.पी. कार्ड में करना।
- न्यूनतम 20 प्रसव प्रतिमाह सी.एच.सी., सीमॉक पर तथा न्यूनतम 10 प्रसव प्रतिमाह सी.एच.सी. एंव पी.एच.सी. बीमॉक पर।
- गर्भवती महिला की तृतीय अथवा चतुर्थ प्रसवपूर्व जॉच चिकित्सक द्वारा करने की व्यवस्था करना।
- गंभीर एनीमिया से पीडित गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित कर ट्रेंकिग सुनिश्चित करना।
- न्यूनतम सर्विस गारण्टी के अनुसार सेवाऐं प्रदान करना।

- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप,उल्टा/आडा/जुड़वा गर्भ आदि पाये जाने वाले तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा

उपलब्धता न होने की स्थिति में पाये जाने पर तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा उपलब्धता ना होने की स्थिति में क्रियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।

- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की बडी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बडी गोली के सेवन हेतु सलाह देना। गंभीर रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाओं की ब्लड ट्रांसफ्यूजन/इंजेक्शन आयरन सुक्रोज/ इन्ट्राम्सकूलर आयरन के माध्यम से प्रबंधन करने हेतु क्रियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना तथा इस हेतु पृथक से रिकार्ड संधारित किया जाए।
- प्रसव हेतु आनेवाली गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जॉच कर एडिमिशन शीट तैयार की जाए।
- निर्धारित प्राटोकॉल के अनुसार पार्टोग्राफ संधारित किया जाए। जिससे फिटल तथा मेटरनल डिस्ट्रेस तथा आब्स्ट्रेट्रिक लेबर का प्रबंधन तथा रेफलर किया जाए।
- इंफेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल का पालन किया जाए जिससे महिला एवं नवजात शिशु में संप्सिस के कारण होने वाले काम्पलीकेशन के प्रकरणों मे कमी लाई जा सके।
- रॅफरल हेतु निर्धारित स्लिप का उपयोग किया जाए एवं उचित फर्स्ट एड जैसे– आई.वी.लाईन, ऑक्सीटोसिन, इंजेक्शन मैगसल्स इंजेक्शन आदि लगाकर भेजा जाए।
- रेफल की जाने वाली संस्था में कॉल सेन्टर के माध्यम से फोन से सूचित किया जाए।
- सुदूर गॉव की जटिल गर्भावस्था वाली महिला को प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व क्रियाशील सीमॉक में भर्ती करना जिससे समय परउचित प्रबंधन किया जा सके।
- प्रसूति कक्ष में आवश्यक औषधियॉ , सामग्री ,उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- एम.एन.एच.टूलकिट के आधार पर सभी आवश्यक पंजियों का संधारण करना।
- आक्सीटोसिन ,कारबोप्रोस्ट इंजेक्शन हेतु कोल्ड चैन मेनटेन करने के लिए लेबर रूम के फ्रिज में रखा जाए।
- प्रसव उपरान्त महिला को 1 घंटे तक प्रसूति कक्ष में रखकर प्रसव उपरान्त होने वाली जटिलताओं की पहचान तथा प्रबंधन सुनिश्चित करने के पश्चात् मेटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया जाए।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए. की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त उपरोक्त 1, 3, 7 ,42 दिवस पर ए.एन.एम तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जॉच सुनिश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।
- महिला को प्रसवोत्तर नसबंदी/आई.यू.सी.डी. निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- सामान्यतः हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की एक बडी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बडी गोली के सेवा हेतु सलाह देना।

- ➢ आकस्मिकता की स्थिति में ही घर में प्रसाव सुरक्षित तरीके से कराया जाए। घर में होने वाले प्रसव में भी स्टेण्डर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। प्रसव के समय आशा कार्यकर्ता का भी सहयोग लिया जाए।

- ➢ डिलेवरी पाईट्स में पदस्थ एएनएम द्वारा एसबीए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, जिससे वह प्रसव के समय होने वाली जटिलताओं का चिन्हांकन तथा प्रबंधन कर सके तथा आवश्यक होने पर उच्च संस्था पर रेफर कर सके।
- ➢ प्रत्येक गर्भवती महिला को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त 1,3,7, 42 दिवस पर एएनएम तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जॉच सुनिश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।
- ➢ प्रसव के समय आवश्यक नवजात शिशु देखभाल सेवाऐं उपलब्ध करायेगें।

<u>के.एम.सी.वार्ड में पदस्थ एएनएम के दायित्व :—</u>

- ➢ के.एम.सी.वार्ड का संचालन ।
- ➢ मदर्स वार्ड में भर्ती माताओं एवं शिशुओं की देखभाल।
- ➢ फालोअप ओपीडी में सहायता।

<u>आर.बी.एस.के. टीम में पदस्थ एएनएम के दायित्व :—</u>

- महिला उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का पद मैदानी कार्यकर्ता का है। इनका मुख्यालय उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रहता है। इनके द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों का नियमित रूप से सतत् भ्रमण करते हुये सेक्टर पर कार्यरत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग हेतु नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध कराना तथा निर्धारित समय सारणी अनुसार विभिन्न स्तर पर आयोजित बैठकों में उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध कराना होता है।
- **स्क्रीनिंगः—** स्क्रीनिंग किये गये कुल बच्चों की संख्या प्रतिदिन 100 प्रति मोबाईल हेल्थ टीम। (2200 / माह प्रति दल) वार्षिक (26400 प्रति दल) सुनिश्चित करना।
- **दस्तावेजीकरणः—** (प्रति दिन दवा वितरण, मांग पत्र एवं प्रदाय दवाओं का लेखा—जोखा संधारण एवं रिपोर्टिंग) माइक्रोप्लानिंग, रजिस्टर प्रारूप, जांच साधन सह रेफरल कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्क्रीनिंग में 10 प्रतिशत धनात्मक पाये गये बच्चों की संख्या। (220 / प्रतिमाह) वार्षिक (2640 प्रति दल) के साथ—साथ स्वयं के द्वारा या विकासखण्ड स्तर पर उपचारित कराये गये बच्चों की संख्या (180 / प्रति माह प्रति दल) वार्षिक (2160 प्रति दल) सुनिश्चित करना।
- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा जिला स्तर पर उपचारित कराये / रिफर किये गये बच्चों की संख्या (10 प्रति माह), वार्षिक न्यूनतम 120 बच्चे प्रति दल के साथ—साथ जिले से बाहर उपचार हेतु रिफर किये गये बच्चों की संख्या। (03 प्रति माह प्रति दल) वार्षिक न्यूनतम 36 प्रति दल सुनिश्चित करना।
- मोबाइल हेल्थ टीम (ए.एन.एम.) द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच (40 प्रति माह प्रति दल) वार्षिक न्यूनतम 480 प्रति दल के साथ—साथ एनआरसी में भर्ती हेतु भेजे गये बच्चों की संख्या।(05 प्रति माह प्रति दल) वार्षिक न्यूनतम 60 प्रति दल सुनिश्चित करना।